तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ~~मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली~~ वास्ते delivery status दिनांक 30/11/25 को पेश हो।	
30/11/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ~~मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली~~ वास्ते delivery status दिनांक 12/12/25 को पेश हो।	
12/12/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ~~मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली~~ वास्ते delivery status दिनांक 20/1/26 को पेश हो।	
20/1/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ~~मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली~~ वास्ते delivery status दिनांक 11/2/26 को पेश हो।	
11/2/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ~~मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली~~ वास्ते delivery status दिनांक 26/2/26 को पेश हो।	
26/2/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण . न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ~~मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली~~ वास्ते delivery status दिनांक 19/3/26 को पेश हो।	
19/3/26	पत्रा. पेश। वाद 2023 से लंबित है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी की तामील हेतु समुचित प्रयास नहीं किए गए हैं अभिलेख पर कोई ऐसी	19/3/26

तात्कालिक परिस्थितियाँ भी प्रदर्शित नहीं है जिनसे विलम्ब होने पर अपूर्णीय क्षति होने की संभावना हो।

वाद प्रतिवादी की पत्नी द्वारा पेश किया गया है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह निवेदन किया गया है कि उसके पति जो कि विवादित पैतृक सम्पत्ति में अपने भाइयों के साथ 1/3 हिस्से का स्वामी हैं, अपनी उक्त हिस्सेदारी को विक्रय कर सकते हैं। इस आधार पर वादिनी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

वादिनी द्वारा केवल आशंका व्यक्त की गई है कि उसके प्रति संपत्ति का विक्रय कर सकते हैं। वर्तमान में सम्पत्ति का स्वामी प्र1 है तथा उसके जीवनकाल में पत्नी का उस पर स्वत्वाधिकार स्थापित नहीं होता है वादिनी का अधिकार केवल भरण-पोषण तक सीमित है अतः वादिनी प्रथमदृष्टया कोई अधिकार स्थापित नहीं कर पाई के साथ ही सुतलन की सुविधा व अपूर्णीय क्षति इस प्रकरण में विद्यमान नहीं है।

अतः वादिनी द्वारा धारा 212 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी